

Fourteenth Loksabha**Session : 5****Date : 30-08-2005****Participants : Koli Shri Ramswaroop**

>

Title : Identification of persons below poverty line .

श्री राम स्वरूप कोली (बयाना) : महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का सही चयन करने के मामले में यह निश्चित करने के लिए कि केवल पात्र व्यक्तियों को ही लाभ मिले। इसके लिए स्थानीय सांसद की संस्तुति लेना आवश्यक कर दिया जाए, जिससे सरकार को सही स्थिति की जानकारी मिल सके। ऐसा करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि रिश्वत अथवा प्रभावशील व्यक्तियों के दबाव में प्रायः शासकीय कर्मचारियों को अनेक बार निर्धनों के स्थान पर धनाढ्य व्यक्तियों की संस्तुति करनी होती है। इस प्रकार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों का हक मारा जाता है।

महोदय, निर्धन लोग भूखे रहते हैं तथा अपेक्षाकृत धनी व्यक्ति सुखी रहते हैं। साथी सांसदों से चर्चा में भी इस प्रकार की शिकायतों का ज्ञान हुआ। बिना स्थानीय सांसद की संस्तुति के यह सुविधा लोगों को न दी जाए। मुझे आशा एवं विश्वास है कि सरकार पात्र व्यक्तियों को ही लाभ सुनिश्चित कराने के लिए मेरे सुझाव पर अत्यंत गंभीरतापूर्वक कार्यवाही करेगी। धन्यवाद।